भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4978
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

पंचायतों के विकास के लिए संचालित योजनाएं

†4978. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पंचायतों के विकास के लिए संचालित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेषकर तमिलनाडु में बेहतर पंचायती राज व्यवस्था का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) पंचायतों को जारी की गई निधियों का राज्यवार और तमिलनाडु का जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ग) पंचायत राज्य का विषय है, और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) तमिलनाडु सहित देश में पंचायती राज प्रणाली के प्रभावी कामकाज की दिशा में योजनाओं के तहत निधि सहायता सहित राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति और संपूर्ति करता है:

पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

i. केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना जिसका प्राथमिक उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और उनके पदाधिकारियों, जिनमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं, को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण देकर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत करना और ग्राम पंचायत भवन और कम्प्यूटरीकरण जैसी अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना है।
ii. पंचायतों को प्रोत्साहन (आईओपी), आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसका उद्देश्य पीआरआई के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करना है, जिसके तहत सेवा प्रदायगी और लोक कल्याण के सुधार में उनके उत्तम कार्य करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार/अवार्ड दिए जाते हैं।
iii. ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ई-पंचायत), आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसके अंतर्गत पंचायतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही

और पारदर्शिता लाने और उनके समग्र परिवर्तन में योगदान देने के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाता है।

इसके अलावा, केंद्रीय वित्त आयोगों के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए तमिलनाडु सहित राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

तमिलनाडु सहित देश भर में बेहतर पंचायती राज प्रणाली के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैठकों, क्षेत्र के दौरे/फील्ड विजिट, वीडियो-कॉन्फ्रेंस, डैशबोर्ड डेटा आदि के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जा रही है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और इस तरह योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और धनराशि के उपयोग सम्बंधित प्रदर्शन में सुधार हो सके। योजना के तहत अनुदान जारी करने और उसकी ट्रैकिंग के लिए लेन-देन आधारित सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) शुरू की गई है। मंत्रालय ने पंचायत द्वारा खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया है। इसके अलावा, उपयोग किए गए केंद्रीय वित्त आयोग के निधि के ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए एक 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है और पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत किया गया है। वास्तविक समय प्रशिक्षण निगरानी की सुविधा के लिए एक प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) विकसित और संचालित किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा तैयार मेरी पंचायत जैसे ऐप ने पंचायत में नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता तक पहुँचाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी तरह, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन ऐप है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान (i) 15वें केंद्रीय वित्त आयोग (ii) आरजीएसए की योजना और (iii) आईओपी के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सरकार को जारी धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है: (रुपए करोड़ में)

वर्ष	15वें वित्त आयोग	आरजीएसए	आईओपी
2021-22	2666	39.89	1.87
2022-23	2761	25.42	1.80
2023-24	2791	0.00	1.00

केन्द्रीय वित्त आयोग का अनुदान आरएलबी को सीधे तौर पर जारी नहीं किया जाता है, बल्कि राज्यों को जारी किया जाता है और राज्यों को आरएलबी/पंचायतों के सभी चरणों को धनराशि जारी करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, आरजीएसए योजना के तहत, जिलों या ग्राम पंचायतों को सीधे धनराशि प्रदान नहीं की जाती है और राज्यों को जारी की जाती है जो योजना के उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के लिए पंचायतों पर खर्च करते हैं। आईओपी के तहत, वर्ष 2021-22 से पंचायतों को सीधे धनराशि जारी की जाती है।

***